सार-समाचार

डॉ. प्रदीप शर्मा 'राष्ट्रीय आयुर्वेद विभूषण' मानद उपाधि से सम्मानित

पाटन (निसं)। पराविद्या संस्थान द्वारा संचालित पंजीकृत संस्था अंतर्राष्ट्रीय सम्मानोपाधि संस्थान, कप्तानगंज द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा, स्वास्थ्य जागरूकता, योग, वैलनेस, कोविड-19, लंपी रोग नियंत्रण, गौ सेवा तथा विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में डॉ. प्रदीप शर्मा के उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें "राष्ट्रीय आयुर्वेद विभूषण" मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। डॉ. शर्मा वर्तमान में राजकीय आयुर्वेद औषधालय, गणेश्वर में वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और पूर्व में आयुर्वेद विभाग के जिला नोडल अधिकारी के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। आयुर्वेद चिकित्सा को जन-जन तक पहुंचाने, प्राचीन चिकित्सा पद्धितयों को बढ़ावा देने तथा समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के उनके प्रयास अत्यंत सराहनीय रहे हैं। इससे पूर्व भी डॉ. शर्मा को धन्वंतरि सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित उपाधियों से नवाजा जा चुका है। उन्हें आयुष्मान भारत सेवा रत्न, राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय प्रतिभा, प्राकृतिक धरोहर, आयुर्वेद शिरोमणि, आयुर्वेद चिकित्सा सेवा रत्न, आयुर्वेद मार्तंड, आयुर्वेद सरस्वती तथा आयुर्वेद गौरव जैसे कई राष्ट्रीय स्तर के सम्मानों से सम्मानित किया गया है।

भामाशाह ने 50 ट्यूबलाइटें भेंट की

पाटन (निसं)। डॉ. भीमराव अंबेडकर मानव कल्याण संस्थान नीमकाथाना में बच्चों के कमरों की रोशनी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 50 ट्ययूब लाइट भेंट की गई। ये ट्ययूब लाइट एलआईसी में कार्यरत अशोक कुमार वर्मा के सुपुत्र पिंकेश वर्मा द्वारा भेंट स्वरूप प्रदान की गईं।संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि छात्रावास में लंबे समय से रोशनी की व्यवस्था को लेकर आवश्यकता महसूस की जा रही थी। ऐसे में भामाशाह पिंकेश वर्मा द्वारा यह सहयोग अत्यंत सराहनीय है। संस्था परिवार की ओर से उनका अभिनंदन किया गया तथा आभार जताया गया।इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष रामजीलाल वर्मा, उपाध्यक्ष जुगल किशोर पत्रकार, अधीक्षक प्रो. ईश्वर चंद बलाई, रवि जिंदल डोकन, पूर्व अध्यक्ष ख्यालीराम मरोडिया, हंसराज किलानियाँ, मालीराम सहित अनेक छात्र व स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। संस्थान प्रशासन ने आशा जताई कि समाज के अन्य लोग भी इस प्रकार प्रेरित होकर सहयोग करेंगे जिससे विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

बालिका आदर्श विद्या मंदिर का वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित

लक्ष्मणगढ़ शेखावाटी (निसं)। बालिका आदर्श विद्या मंदिर में बुधवार को वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित हुआ। समारोह में सरकारी जिला अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अटल भास्कर, सेवानिवृत्त जिला मुख्य चिकित्सा एवंस्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रतन मोदी, डॉक्टर मोहित मोदी, समाजसेवी डॉक्टर निरुपमा उपाध्याय, संतोष काबरा, कृष्णकांत जोजोदिया,अंकित काबरा मंचस्थ अतिथि थे। प्रधानाचार्य विद्याधर शर्मा ने अतिथियों का परिचय प्रस्तुत किया। समारोह में विद्या मंदिर की नन्हीं-नन्हीं बालिकाओं एवं बालकों ने नृत्य, गायन, नाटक, अंग्रेजी संवाद की प्रस्तुतियां दी। संस्था की ओर से अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। इस अवसर पर भारतीय विद्या मंदिर समिति के पदाधिकारी पुरुषोत्तम मिश्रा, राजकुमार खिरवेवाल, रतनलाल चिरानिया, जयप्रकाश सरावगी, सुरेंद्र इंदौरिया, पुरुषोत्तम बील, अरूण सैन, गोविंदराम जांगिड, अशोक कुमार पारीक, सूरजभान बीजला, मुरारी लाल मिश्रा, रतनलाल सैनी, सेवानिवृत वरिष्ठ शिक्षक चांदमल सोनी,प्रधानाचार्या शोभा शर्मा, अरुणा पाराशर एवं शहर के गणमान्य जन अभिभावक एवं मातृशक्ति काफी संख्या में उपस्थित थे। संचालन मधुबाला शर्मा व शर्मिला मिश्रा ने किया।

रेसा पी की कार्यकारिणी की बैठक हुई

चूरू (निसं)। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तारानगर में रेसा पी के ब्लॉक कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रेसा पी के मुख्य संरक्षक प्रमोद मिश्रा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रेसा पी के जिलाध्यक्ष रामकुमार खीचड ने की। बैठक में तारानगर ब्लॉक इकाई के चुनाव संपन्न करवाए। इस दौरान रेसा पी के संरक्षक प्रमोद मिश्रा, जिलाध्यक्ष रामकुमार खीचड, जिला मंत्री हरिप्रसाद टाक ,जिला कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गहलोत ने संगठन के बारे में विस्तार से जानकारियां दी। ब्लाक कार्यकारिणी में प्रधानाचार्य सुनील श्योराण को ब्लॉक अध्यक्ष, तारानगर एसीबीईओ भागचंद को ब्लॉक मंत्री व राउमावि कैलाश की पूनम चंद्र वर्मा को ब्लॉक कोषाध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य मंजू, राजबाला चौधरी, वीनिता शर्मा, कमलेश, विष्वनाथ भाटी, रविंद्र सहारण, लक्ष्मण सिंह, रोशन लाल जांगिड, नरेंद्र सिंह, सुरेंद्र शेखावत, इंद्राज महला, पवन कुमार जांगिड, बिजेंद्र सिंह, रतन सिंह, मांगीलाल, दौलाराम, सरदार सिंह सैनी, राजाराम, राकेश कुमार आदि प्रधानाचार्य उपस्थित थे।

पानी के गड्ढे में गिरा युवक घायल

सीकर (निसं)। गड्ढे में गिरे युवक को सिविल डिफेंस की टीम और उद्योग नगर पुलिस ने बाहर निकाला। युवक को एसके हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। फिलहाल युवक की हालत ठीक है। वह नशे की हालत में रात के समय गड्ढे में गिरा था। पानी का गड्ढा नवलगढ़ पुलिया के पास स्थित रेलवे सामुदायिक भवन के पास है। सिविल डिफेंस की टीम के सदस्य मोहम्मद रियाजुद्दीन ने बताया कि कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम पर सूचना मिली कि सामुदायिक भवन के पास गड्ढे में एक युवक गिरा हुआ है। इस पर टीम मौके पर पहुंची जहां से युवक अली को बाहर निकालकर एम्बुलेंस के जरिए सीकर के एसके अस्पताल में लाया गया। युवक की स्वास्थ्य हालत फिलहाल ठीक है। युवक अली बदमाश प्रवृत्ति का है। इसके खिलाफ पूर्व में कई मामले दर्ज है। हाल ही में थोडे दिन पहले यह किसी मामले में जेल काटकर वापस लौटा था। रात को करीब 2 बजे वह घर पर आया था और इसके बाद वापस अपने दोस्तों के साथ चला गया। युवक का परिवार सीकर में नवलगढ़ पुलिया के पास झुग्गी झोपडी में रहता है। युवक रात को नशे में था। सिविल डिफेंस टीम से कैलाश चंद्र मीणा, अंकुर, धर्मेंद्र, कन्हैयालाल, नंद सिंह, हितेश मौजूद रहे।

विजेता खिलाड़ियों का अभिनंदन

चूरू (निसं)। करौली जिले के हिंडौन सिटी में 11 से 13 मई को आयोजित हुई स्टेट ताइक्वांडो प्रतियोगिता में राजस्थान के अनेक जिलों से 250 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। ताइक्वांडो कोच हेमंत भाटी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में चूरू जिले से चंद्रकला भांभू, माही तंवर, नूपुर अग्रवाल, दिव्या नेहरा ने स्वर्ण पदक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। इसीक्रम में भाव्या नेहरा, सरिता भांभू, कोमल, हिमांशु, पीहू सिंह रणवां ने रजत पदक व नवीन भांभू, प्रतीक, निकित चौधरी, चेतन, मोहित, आर्यन जांगिड़, अनिस खान, दर्शना, रवि शर्मा, तनवी शर्मा, लोकेश भाकर, परिधि चौधरी ने कांस्य पदक प्राप्त किया। चूरू पहुंचने पर बुधवार को जिला ताइक्वांडो संघ के पदाधिकारियों व बेलमोंट सी. सैं. स्कूल चूरू की प्रिंसिपल नीतू नेहरा ने सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया। निदेशक अविनाश नेहरा ने बताया कि समस्त खिलाड़ी भाटी मार्शल आर्ट एकेडमी व अग्रसेन नगर चूरू में नियमित अभ्यास करते है।

फूले फिल्म का पांचवां शो भी सुपर डुपर हाउसफुल

पाटन (निसं)। महात्मा ज्योतिबा फुले व माता सावित्री बाई फुले के जीवन संघर्ष पर आधारित ऐतिहासिक फिल्म फूले का पांचवां शो भी दर्शकों से खचाखच भरा रहा। 300 सीटों वाले हॉल में 500 से अधिक दर्शकों ने फिल्म का आनंद लिया-कई दर्शक कालीन पर बैठकर या खड़े होकर भी शो देख पाए। मेघवंश जागृति संस्थान द्वारा चलाए जा रहे इस सामाजिक जागरूकता अभियान में श्यामगढ़ तहसील खंडेला से सुल्तान सिंह के नेतृत्व में 50 लोग (जिनमें 35 महिलाएं थीं) विशेष रूप से पहुंचे। शो 18 मई 2025 तक जारी रहेगा, और बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है।मैनेजमेंट कमेटी अध्यक्ष सुभाष चंद सिंघल व सचिव राजेंद्र मेहरानिया सहित टीम ने व्यवस्था संभाली। इस विशेष शो में कई सामाजिक व राजनैतिक प्रतिनिधियों ने भाग लेकर फिल्म की सराहना की।

राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज

सीकर (निसं)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाएगा। एनवीबीडीसीपी कार्यक्रम के तहत दिवस पर देखें, साफ करें, ढकें, डेंगू को हराने के उपाय करें थीम पर गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। विभाग की ओर से दिवस के तहत शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों, कर्मचारियों एवं लोगों को डेंगू के बारे में जागरूक किया जाएगा।

जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी

चूरू (निसं)। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने गुरुवार को डीओआईटी वीसी सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को परिवादों में समुचित कार्यवाही कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं इस दौरान कुछ लोग निराष भी नजर आये।

इसी क्रम में चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के गांव गागडवास में शमशान भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा किये गये अवैध निर्माण कार्य को रोकने की मांग को लेकर गुरुवार को गांव के महासिंह ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि शमशान भूमि खसरा नंबर 239 पर ग्राम पंचायत द्वारा शमशान भूमि पर गैर तरीके से निर्माण कार्य हुआ है, जिसमें राज कार्य का दुरुपयोग हो रहा है।

चार दिवारी की जगह छोडकर निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अपने चहेते लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है। ग्रामीण ने बताया कि यह मामला उच्च न्यायालय जोधपुर में भी है, जो तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट लगाए हुए हैं। महासिंह ने बताया कि वह 2011 से लेकर अब तक कई बार जिला कलेक्टरों को इस मामले को लेकर अवगत करा चुका है, परंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

उन्होंने गुरुवार को जिला कलेक्टर से श्मशान भूमि पर कुछ लोगों द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाने की मांग की। इस दौरान जिला कलेक्टर सुराणा ने कहा कि विभागीय अधिकारी जनसुनवाई परिवादों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशानुरूप जनसुनवाई में प्राप्त परिवादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।

जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने आमजन की समस्याएं सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को परिवादों में समुचित कार्यवाही कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जनसुनवाई प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई करें और फरियादियों को गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण से संतुष्ट करें। सरकार की मंशा अनुसार प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। जिला कलक्टर सुराणा ने सभी अधिकारियों को संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का निर्धारित समयसीमा में निस्तारण करने तथा पेंडेंसी को समाप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज 30 दिन से अधिक की पेंडेंसी को समाप्त करें तथा निस्तारण में संतुष्टि स्तर बढाएं। इसी के साथ ई-फाइल डिस्पोजल टाइम को कम करें।

जनसुनवाई के दौरान पेयजल आपूर्ति, विद्युत तंत्र को सही करने, बिजली पोल को ठीक करने, चूरू नगरपरिषद में सफाई, नाली निर्माण, पानी भराव, गैनाणी से जल भराव, पट्टे से संबंधित परिवाद, मोरथल में अतिक्रमण हटाने के परिवाद, खेल मैदान में अतिक्रमण, सड़क दुर्घटना से जुडे पुलिस परिवाद, सेटेलाइट अस्पताल में स्टाफ की नियुक्ति, सुजानगढ़ के शोभासर में बंद रास्ता खुलवाने, पट्टा जारी करने, आरओबी निर्माण कार्य, कृषि, शिक्षा से जुडे कुल 45 प्रकरण प्राप्त हुए, जिस पर जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समुचित जांच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में नगरनिकाय के 10, राजस्व के 18, डिस्कॉम के 3, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 2, पुलिस के 2, कृषि के 2, शिक्षा के 1, पंचायतीराज के 3, पीएचईडी के 3 व एसजेईडी के 01 प्रकरण प्राप्त हुए। एडीएम अर्पिता सोनी ने सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समुचित निर्देश दिए। इस दौरान सीईओ श्वेता कोचर, डीवाईएसपी सुनील झाझडिया, कोषाधिकारी प्रवीण सिंघल, पीएचईडी प्रोजेक्ट एडिशनल चीफ इंजीनियर राममूर्ति, डिस्कॉम एसई आरपी वर्मा, सानिवि एसई पंकज यादव, पशुपालन संयुक्त निदेशक डॉ. मदनलाल गहनोलिया, कृषि संयुक्त निदेशक मुकेश माथुर, डीओआईटी एसीपी नरेश टुहानिया, नगरपरिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह, आईसीडीएस उपनिदेशक डॉ. नरेन्द्र शेखावत, बाल संरक्षण इकाई सहायक निदेशक सत्येन्द्र पाल वीर, उद्योग महाप्रबंधक उजाला, कॉपरेटिव एमडी मदनलाल, रोजगार सहायक निदेशक वर्षा जानू सहित जिला स्तरीय अधिकारी तथा वीसी के जरिए सभी उपखंड स्तरीय अधिकारी जुडे रहे।

मधुमेह नि:शुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर आज

सीकर (निसं)। वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉ प्रदीप कुमार पाण्डेय ने बताया कि 16 मई 2025 शुक्रवार को प्रात: 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिला आयुर्वेद चिकित्सालय सीकर मे प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं पंचकर्म प्रभारी डॉ प्रेमलता पाण्डेय के नेतृत्व में कायचिकित्सा विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ मोनू गुप्ता द्वारा मधुमेह की नि:शुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर आयोजित किया जाएगा।

शिविर में श्री धनवंतरी हर्बल के सौजन्य से मधुमेह की नि:शुल्क जांच की जायेगी एवं उपलब्ध दवा भी दी जाएगी।

अतिक्रमण हटवाने की मांग

सादुलपुर, (निसं)। ग्राम पंचायत कालानाताल के गांव राऊ ताल के ग्रामीणों ने गुरुवार को उपखण्ड अधिकारी राजगढ के नाम तहसीलदार को ज्ञापन देकर सांडशाला पर किये गये अवैध अतिक्रमण हटवाने की मांग की है। दोपहर साढे तीन बजे दी जानकारी के अनुसार इस दौरान कैप्टन रणधीर सिंह,जीवराज सिंह, विजेंद्र शर्मा, तेजाराम, बनवारी, रामजीलाल, शीशपाल, सुरेश कुमार, राकेश, श्योचन्द आदि ने उपखंड अधिकारी के नाम दिए ज्ञापन में लिखा है कि ग्राम राऊ ताल मे पंचायत द्वारा निर्मित सार्वजनिक परिसंपत्ति सांडशाला पर गांव के ही जगनाराम पुत्र पूर्णाराम मेघवाल निवासी राऊ ताल ने चार दिवारी तोङकर अतिक्रमण कर लिया है और सांडशाला के मकान में चारा डाल दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि हम ग्राम वासीयों द्वारा सांडशाला में चार दिवारी आदि के निर्माणार्थ जन सहयोग से खरीदशुदा ईंट, बजरी आदि निर्माण सामग्री सांडशाला परिसर निर्माण हेतु रखी है, जिसमें से जगना राम और उसकी पत्नी सुमन देवी ने ईंटे उठा ली है और बजरी पर अपना कब्जा कर लिया है। आरोप है कि गांव के गणमान्य लोगों द्वारा समझाने पर गाली-गलोच करते है और मारपीट करने के लिये दोड़ते हैं।

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी स्थान नेछवा सीकर
हेमलता विरुद्ध राजकुमार आदि
वाद बाबतः- उद्घोषणा
वाद सं0:- 182 सन् 2025

बनाम-
1. राजकुमार पुत्र नन्दलाल जाति महाजन निवासी ग्राम मीरण तहसील नेछवा जिला-सीकर राज.
वादीया ने आपके विरुद्ध उद्घोषणा के लिये वाद पंजीयन किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 19-05-2005 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में है या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा दाखिल / सुरजाई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे व आपके कब्जे व शक्ति में हो तो अपना प्रतिरक्षा या मुजाराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसे दस्तावेजों को उल्लिखित समय के वाद उपावद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गयी तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होगें तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता0 16 माह 04 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत
आज्ञा से-न्यायाधीश
उपखण्ड अधिकारी
नेछवा सीकर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी स्थान नेछवा सीकर
भगवानी देवी आदि विरुद्ध भगवानाराम आदि
वाद बाबतः- उद्घोषणा
वाद सं0:- 84 सन् 2013

बनाम-
1. भगवानाराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी ग्राम जिला-सीकर राज. डूंगरवास तहसील नेछवा
वादीगण ने आपके विरुद्ध उद्घोषणा के लिये वाद पंजीयन किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 19.05.2025 सुको दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में है या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा दाखिल / सुरजाई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे व आपके कब्जे व शक्ति में हो तो अपना प्रतिरक्षा या मुजाराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसे दस्तावेजों को उल्लिखित समय के वाद उपावद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गयी तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होगें तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता0 16 माह 4 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत
आज्ञा से-न्यायाधीश
उपखण्ड अधिकारी
नेछवा सीकर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश के नियम और 5)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी स्थान नेछवा सीकर
परमा देवी आदि विरुद्ध बजरंगलाल आदि
याद बाबत उद्घोषणा
वाद सं.:-82 सन् 2023

1. बजरंगलाल पुत्रहरुराम जाति जाट निवासी ग्राम जुगरवास तहसील नेछवा जिला सीकर राज.
वादीगण ने आपके विरुद्ध उद्घोषणा के लिये वाद पंजीयन किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 19.05.2025 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में है या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा दाखिल / सुरजाई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे व आपके कब्जे व शक्ति में हो तो अपना प्रतिरक्षा या मुजाराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसे दस्तावेजों को उल्लिखित समय के वाद उपावद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गयी तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होगें तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता0 16 माह 4 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत
आज्ञा से-न्यायाधीश
उपखण्ड अधिकारी
नेछवा सीकर

पक्षियों के लिए परिंडे बांधे

पाटन (निसं)। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (उच्च शिक्षा) की स्थानीय इकाई द्वारा राजकीय कमला मोदी महिला महाविद्यालय, नीमकाथाना में पर्यावरण संरक्षण और जीवदया की भावना को साकार करते हुए पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए। इस पहल ने न केवल महाविद्यालय परिसर को और अधिक जीवंत बनाया, बल्कि भीषण गर्मी में प्यासे परिंदों के लिए जीवनदायिनी व्यवस्था भी प्रदान की। इकाई सचिव प्रो. रोहिताश यादव ने बताया कि इन दिनों क्षेत्र में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जिससे न केवल मनुष्य बल्कि बेजुबान पशु-पक्षी भी अत्यधिक पीड़ा में हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय परिसर में उन स्थानों को चिन्हित किया गया जहाँ पक्षियों की आवाजाही अधिक रहती है, और वहां पेड़ों पर परिंडे लगाए गए हैं।कार्यक्रम के दौरान सह सचिव डॉ. संदेश गौतम ने विद्यार्थियों को अपने-अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में भी पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था करने हेतु प्रेरित किया।

जलभराव की समस्या को लेकर राणासर के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

चूरू (निसं)। कलेक्ट्रेट स्थित अटल सेवा केंद्र में गुरुवार को हुई जनसुनवाई में अलग-अलग जगहों से आये लोगों ने अपनी समस्याओं से जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को अवगत करवाया।

इसी क्रम में राणासर से आये ग्रामीणों ने गांव के बस स्टैंड के पास निकासी के अभाव में एकत्रित जल समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पिछले तीन सालों से गंदा पानी निकासी के अभाव में गांव के मुख्य मार्ग जमा हुआ है, जो आमजन के जी का जंजाल बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग पर गांव का विद्यालय है, जिससे विद्यार्थियों का आने-जाने में काफी परेषानियों का सामना करना पडता है और इसमें विद्यार्थी कई बार गिरकर चोटिल हो जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस एकत्रित गंदे पानी से आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस गंदे पानी से अनेक प्रकार की

जलभराव की समस्या को लेकर राणासर के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

बीमारियों का संकट पैदा हो रहा है। गंदे पानी में व्याप्त मच्छरों से लोगों का जीना दुर्लभ हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि यदि यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में किसी बडी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या को लेकर विधायक, सरपंच व सांसद महोदय को अवगत करवाया जा चुका है, फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। इस अवसर पर ज्ञापन देने वालों में मनीराम मीणा, रमेश तालनिया, गिरधारी लाल मीणा, मांगीलाल शर्मा, आसिफ खान, महावीर प्रसाद, रामनिवास मीणा, विनोद कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

हथियार चोरी करने के मामले में एक गिरफ्तार

- मामले में आरोपी से राजगढ थाना पुलिस कर रही है पूछताछ

सादुलपुर, (निसं)। राजगढ कस्बे की जाट भवन के पास नसीब कॉलोनी में एक बंद सूने मकान का ताला तोडकर घर में घुसकर हथियार चोरी करने के मामले में पुलिस ने गुरूवार को एक आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। शाम साढे छः बजे दी जानकारी में प्रकरण की जांच कर रहे एएसआई महेंद्र सिंह पूनियां ने बताया कि राजगढ के वार्ड नं 1० निवासी करण उर्फ करणी उर्फ लोडिया पुत्र ओमप्रकाश उर्फ मनोज ब्राहम्ण को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष एक घर में घूसकर आरोपी ने लाइसेंस शुदा रिवॉल्वर को चोरी कर फरार हो गया था। उन्होंने बताया कि आरोपी से पूछताछ कर लाइसेंस शुदा हथियार चोरी करने के बारे में पुछताछ की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि 13 सितंबर 2024 को विकास जाट उम्र 27 साल निवासी चैलाना बास पुलिस थाना सिद्धमुख ने मामला दर्ज करवा कर बताया कि जाट भवन के पास नसीब कॉलोनी राजगढ में स्थित उसकी बहन व बहनोई सीआरपीएफ में नौकरी करते हैं तथा उसकी बहन के घर में कोई अज्ञात व्यक्ति ने घूसकर एक लाइसेंस शुदा पिस्तौल और 70 हजार रुपए चोरी कर ले गया।

आमजन की समस्याएं सुनी

सीकर (निसं)। राज्य सरकार की जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिये जिला स्तरीय जनसुनवाई गुरूवार को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वीसी रूम में हुई। इस दौरान जिला कलक्टर मुकुल शर्मा ने आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई करते हुए विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध रूप से निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मंशा के अनुरूप परिवादियों को राहत व संतुष्टि दिलवाना सुनिश्चित करें। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त 64 प्रकरणों पर चर्चा करते हुए निस्तारण के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये। सीमा ज्ञान करने, अतिक्रमण हटाने, पेयजल समस्या का निराकरण कराने, भूमि से अतिक्रमण हटाने, बिना अनुमति के कृषि भूमि से रास्ता काटने सहित कुल 64 परिवाद प्राप्त हुए।

गांव लूदी झाबर व लूदी खुब्बा में पेयजल संकट गहराया

सादुलपुर, (निसं)। राजगढ तहसी के अंतर्गत आने वाले गांव लूदी झाबर और लूदी खुब्बा ढाणियों में पीने के पानी की समस्या दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है। गुरूवार शाम पांच बजे दी जानकारी में बताया गया कि पिछले कई दिनों से इन इलाकों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।

- महिलाओं ने मटका रख कर जताया विरोध
- ग्रामीणों ने बोला कि पानी नहीं मिला तो धरना प्रदर्शन करेंगे

पेयजल संकट के लिए लूदी झाबर और लूदी खुब्बा के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया।

पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने मटका रखकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द पेयजल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से एसडीएम कार्यालय राजगढ के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगी। प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं ने बताया कि कई दिनों से पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि 'नहाने, खाना बनाना तो दूर की बात, पीने के लिए भी पानी नहीं है'। ग्रामीणों ने बताया कि मजबूरी में पानी के निजी टैंकर मंगवाने पड रहे हैं, जिनकी कीमत लगभग 1100 प्रति टैंकर देनी पडती है। रोजाना मजदूरी करने वाले या सीमित आय वाले लोग इतने महंगे पानी का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं।

ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार ग्राम पंचायत गुलपूरा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

गर्मियों में यह समस्या हर साल सामने आती है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। ग्रामीणों की मांग है कि लूदी झाबर व लूदी खुब्बा में नियमित मीठे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। ओर पानी के जुगाड के लिए निजी टैंकर पर निर्भरता खत्म करने के लिए सार्वजनिक जल स्त्रोतों की व्यवस्था की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर स्थायी समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि यदि आगामी दो दिनों में इस जल संकट का समाधान नहीं किया गया, तो वे एसडीएम कार्यालय, राजगढ पर सामूहिक धरना-प्रदर्शन करेंगे।

विवाद्यको के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय राजगढ़ जिला चूरू
क्रमांक : राजस्व/2025/412- दिनांक 14/05/25
वेद् प्रकाश बनाम काशीराम
वाद बाबत-खाता विभाजन
वाद संख्या 186 सन 2017

बनाम अबे सिंह पुत्र काना जाति जाट निवासी नवा तहसील राजगढ़ जिला चूरू ने आपके विरूद्ध खाता विभाजन के लिए वाद पंजीकृत किया है। आप इस न्यायालय में तारीख 16 माह 06 सन् 2025 को दिन में 10.00 बजे दावे का उतर देने के लिए हाजिर हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हो, और इस वाद से संबंधित सभी सारवन प्रश्नों का उतर दे सके, या जिसके साथ कोई व्यक्ति हो, जो ऐसे सब प्रश्नों का उतर दे सके। आपको यह निर्देशित किया जाता है, कि आप उस दिन प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें, और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है, पेश करें, जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/मुरजाई का दावा/प्रतिदावा आधारित है, और यदि आपको किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जा या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या सुनवाई के दावे, प्रति दावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप मे निर्भर करता है, तो आप ऐसे दस्तावेजो को उल्लेखित समय के बाद की जानी वाली सूची में पृविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है, कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे, तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। नोटिस आज तारीख 14 माह 05 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।
आज्ञा से
रीडर
उपखंड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश के नियम और 5)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी स्थान नेछवा सीकर
नन्दुी देवी आदि विरुद्ध लक्ष्मीनारायण आदि
वाद बाबत उद्घोषणा
वाद सं.:- 83 सन् 2023

लक्ष्मीनारायण पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी ग्राम सूतोव तहसील नेछ्या जिला-सीकर राज.
वादीगण ने आपके विरुद्ध उद्दघोषणा के लिये वाद पंजीयन किया है। आपका इस न्यायालय तारीख 19.05.2025 को दिन में 10 वजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में है या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा दाखिल/सुरजाई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे व आपके कब्जे व शक्ति में हो तो अपना प्रतिरक्षा या मुजाराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसे दस्तावेजों को उल्लिखित समय के वाद उपावद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गयी तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होगें तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता0 16 माह 4 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत
आज्ञा से-न्यायाधीश
उपखण्ड अधिकारी
नेछवा सीकर

कार्यालय नगरपालिका मण्डल रावतसर, जिला हनुमानगढ़ (राज.)
क्रमांकः- एफ.14/सामान्य/न.पा.रा./2025/ दिनांक :-
-: आपत्ति सूचना :-
सर्व साधारण को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ सूचित किया जाता है कि श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री बन्ताराम, वार्ड नं. 25 व श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री गौरीशंकर, वार्ड नं. 19 रावतसर ने आवेदन कर अपने क्रयशुदा आवासीय भूखंड पालिका नजूल भूमि वार्ड नं. 25 साईज 146.06 वर्गमीटर का नामांतरण पालिका रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। मूल पट्टा श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री मल्लुराम जाति मेघवाल के नाम से दिनांक 07.06.2023 को साईज 146.06 वर्गमीटर का जारीशुदा है। श्री ओमप्रकाश ने जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 12.06.2023 को श्री जगदीश प्रसाद व श्री महेन्द्र कुमार को बैचान कर दिया। जिसका नामांतरण प्रार्थी नगरपालिका रिकॉर्ड में अपने नाम से दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा क्रय किये गये आवासीय भूखंड का नामांतरण दर्ज करवाने में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति एवं ऐतराज हो, तो उक्त सूचना प्रकाशन होने की तिथि के 07 दिवस में सूचित करे, अन्यथा बाद गुजरने मियाद कोई उजरदावा मान्य नहीं होगा। सूचित रहे।
अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका रावतसर